



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्ल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।
13.02.2020	<p>प्रार्थना-पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर वास्ते जवाब हेतु दिनांक 03.03.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (बीलवाड़ा) </p> <p>03 $\frac{3}{20}$</p> <p>प्राथमिकी पेश हुई / वकील प्रार्थी उपस्थित / वकील प्रार्थी ने बहक कांठी - पाणी / वकील प्रार्थी की बहक हुनी गठी / वकील प्रार्थी ने बहक के फौज बताना की मायालय हाथ जोड़ी जाती की जेहे निरुद्ध लिपिकीय शुल्क मय ग्राहक प्रदायता की आ.नं. 1012, 1015 के स्थान पर निरुद्ध व डीपी में ग्राहक बिन्ध्याभाटा की आ.नं. 1012, 1015 गलत अंकन का दिया गया / तथा ग्राहक प्रदायता की आ.नं. 1113 के स्थान पर निरुद्ध व डीपी के आ.नं. 1103 अंकन का दिया गया / निरुद्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार मायालय ग्राहक जहाजपुर की आ.नं. 1103 के स्थान पर ग्राहक जहाजपुर की आ.नं. 1113 पिन ग्राहक बिन्ध्याभाटा की आ.नं. 1012, 1015 के स्थान पर ग्राहक प्रदायता की आ.नं. 1012, 1015 तयामित का तयामित डीपी जारी मायालय जाहे हेतु निरुद्ध कीया गया। केतु निरुद्ध मायालय की बहक पर मायालय</p>	

1. पं. पणवली का अवेलेकन किया गया।
 बाद अवेलेकन के तबले हैं जी डिमी जारी
 की गई जिसे डिपिटीप कुल्लथ राम जहाजपुर
 की सं. नं. 1012, 1015 के तबले पर निवेदन व
 डिमी के राम लिच्छामण की सं. नं., 1012
 1015 गलत अंकन का डिमा गया। तबले
 राम जहाजपुर की सं. नं. 1113 के तबले
 पर निवेदन व डिमी नं. 1103 अंकन का डिमा
 गया। जिसे न्यायालय प्रार्थी के प्रबन्धन पर
 के तबले दिया जाय उचित तबले ही
 अतः प्रार्थी का प्रबन्धन पर तबले
 दिया जाता है जी राम जहाजपुर की सं. नं.
 1103 के तबले पर राम जहाजपुर की सं. नं.
 1113 एवं राम लिच्छामण की सं. नं. 1012-1015
 के तबले पर राम जहाजपुर की सं. नं. 1012-
 1015 तिथोचिरे मा तिथोचिरे डिमी जारी
 की गई जो का अर्थ डिमा पारत व
 पणवली मूल्य अंकन एकर उभय
 के सम है।


 उपसज्ज/अधिकारी
 जहाजपुर (मैलवाड़ा)